उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 32–विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/11–7–विनियम/88 दिनांकः 14 जून, 2011

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद की "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली–1970 समय–समय पर यथा संशोधित, जो कि सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में प्रभावी है, के विनियम–9: शैक्षिक अर्हतायें के अन्तर्गत आशुलिपिक श्रेणी–3 एवं कार्यालय सहायक(श्रेणी–3) के पदों हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–27–विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/11–7–विनियम/88 दिनांक 06.06.2011 को अवक्रमित करते हुये वर्तमान में निम्न स्तम्भ–1 में इंगित निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में आंशिक संशोधन कर स्तम्भ–2 में इंगित अर्हताओं से एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

स्तम्भ–1 वर्तमान अर्हतायें	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित अर्हतायें
1–आशुलिपिक (श्रेणी–3)	**1 आशुलिपिक (श्रेणी–3)**
1. हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद, उ0प्र0,की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा मानी गयी समतुल्य अन्य कोई परीक्षा। 2. Department of Electronics द्वारा संचालित Department of Electronics Accreditation of Computer Courses (DOEACC) स्कीम के अन्तर्गत "O" Foundation कोर्स अथवा C.I.C (Certificate in Computing) अथवा किसी प्रतिष्ठित कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से समकक्ष एक वर्षीय डिप्लोमा। (कारपोरेशन का कार्यालय आदेश संख्या–20–विनियम/पाकालि/08/5–विनियम/98 दि0 29.01.2008)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2. DOEACC का "O" लेवेल प्रमाण पत्र। 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति तथा अंग्रेजी टंकण को अधिमान्यता।
2– कार्यालय सहायक (श्रेणी–3) (कारपोरेशन का कार्यालय ज्ञाप संख्या–40– विनियम एवं औस/पाकालि/ 2010–7–विनियम /88, दि0 11.05.2010) 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि 2. टाइपराइटर एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति सहित कम्प्यूटर के क्षेत्र में वर्ड एवं एक्सेल की जानकारी।	**2– कार्यालय सहायक (श्रेणी–3)** 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि 2. DOEACC का "O" लेवेल प्रमाण पत्र। 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति तथा अंग्रेजी टंकण

कृ.प.उ.

3.	Department of Electronics द्वारा संचालित Department of Electronics Accredition of Computer Courses (DOEACC) स्कीम के अर्न्तगत "O" Foundation कोर्स अथवा C.I.C (Certificate in Computing) अथवा किसी प्रतिष्ठित कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से समकक्ष एक वर्षीय डिप्लोमा। (कारपोरेशन का कार्यालय आदेश संख्या–20–विनियम/पाकालि/08/5–विनियम/98 दिनांक 29.01.2008)	को अधिमान्यता।

3. संगत विनियमावली में प्राविधानित टाइप राइटर पर हिन्दी व अंग्रेजी टंकण को छोड़ते हुये अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेगें।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 32–(1)विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/11–तद्दिनांक :

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के सलाहकार, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
4– समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6– निदेशक (प्रशासन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7– प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
8– मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।
9– कार्यकारी अपर सचिव–प्रथम/अपर सचिव (द्वितीय/तृतीय)/मुख्यमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) /सलाहकार (औस)/काविनी), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन,लखनऊ।
10– अपर सचिव (अराजपत्रित) को उनकी पत्रावली संख्या–10–एन.जी.ए./2011 हेतु।
11– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन,लखनऊ।
✓12– अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन,लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड किये जाने हेतु।

(जावेद अहमद) 15.5.11
अनुसचिव (विनियम)

(5)